न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 40 / 2024
जीसीएमएस नं. :– 2024 / 63

प्रार्थी :–
बीजाराम पुत्र मंगलाराम जाति राईका निवासी खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :– 15.02.2024

''आदेश''

दिनांक : 21/8/25

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन ग्राम देवनगर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में आयी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं

खाता सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
94	446	0.7122 हैक्टयर	बारानी द्वितीय
	448	1.1655 हैक्टयर	बारानी द्वितीय
	456	0.8579 हैक्टयर	बारानी द्वितीय
	482	0.6556 हैक्टयर	बारानी द्वितीय
	कुल खसरा 4	कुल रकबा 3.3912 हैक्टयर	

उक्त वर्णित आराजी को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिस पर प्रार्थी 1/7 वां हिस्सा पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार काश्तकार है । वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक बंटवाड़ा किया हुआ नही है तथा प्रार्थी संयुक्त रूप से 1/7 वां हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी ने दिनांक 18.08.2023 को अपने हक हिस्सा पर किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकल प्राप्त की जिसमें प्रार्थी का नाम सेठाराम पुत्र मंगलाराम दर्ज है इस पर हल्का पटवारी ने कहा कि प्रार्थी का नाम दुरूस्त करवाना पड़ेगा इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी के कार्यालय में जाकर प्रार्थी का नाम बीजाराम पुत्र मंगलाराम होने एवं प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार कार्ड, इत्यादि में प्रार्थी का नाम बीजाराम पुत्र मंगलाराम दर्ज है तथा प्रार्थी की बोल चाल भाषा में सेटाराम पुत्र मंगलाराम नाम से जाना पहचाना जाता था

इसलिए सेवन से त्रुटिवंश प्रार्थी का नाम सेठाराम पुत्र मंगलाराम दर्ज हो गया जबकि सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम बीजाराम पुत्र मंगलाराम दर्ज है इसलिए प्रार्थी का नाम दुरूस्त करावे जिससे प्रार्थी किसान केडिट कार्ड बना सके इस पर अप्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती श्रीमान न्यायालय हाजा से ही करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना पड़ रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम देवनगर की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 446, 448, 456, 482 कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.3912 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी 1/7 वां हिस्सा का सहखातेदार काश्तकार है वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम सेठाराम पुत्र मंगलाराम गलत रूप में दर्ज हो गया जिसको दुरूस्त फरमाया जाकर सेठाराम पुत्र मंगलाराम के स्थान पर बीजाराम पुत्र मंगलाराम दुरूस्त करने का आदेश फरमावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम देवनगर के खसरा नम्बर 446, 448, 456 व 482 कुल खसरा 4 कुल क्षैत्रफल 3.3912 में प्रार्थी का नाम में सेठाराम पुत्र मंगलाराम के स्थान पर बीजाराम पुत्र मंगलाराम दर्ज किया जाना उचित बताया हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम देवगनर के खसरा नम्बर 446, 448, 456 व 482 कुल खसरा 4 कुल क्षैत्रफल 3.3912 में प्रार्थी का नाम में सेठाराम पुत्र मंगलाराम के स्थान पर बीजाराम पुत्र मंगलाराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 21/8/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर